परिशिष्ट

विधानसभा अतांराकित प्रश्न क्रमांक 536 – प्रश्नकर्ता श्री रामपालसिंह, सदस्य, मध्यप्रदेश विधानसभा

अधीक्षक, जिला जेल शहडोल से प्राप्त जानकारी के अनुसार विचा. महिला बंदी माननीय न्यायालय, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, शहडोल के जारी वारंट दिनांक 21.02.2017 अपराध क्र. 61/17, धारा–08/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत दिनांक 21.02.2017, जिला जेल शहडोल में दाखिल हुई थी। विचाराधीन महिला बंदी द्वारा दिनांक 23.09.2017 को मध्यरात्रि लगभग 03:30 बजे 01 बच्चे को जेल के महिला बैरक में जन्म दिया। जिसकी सूचना प्राप्त होने पर महिला बंदनी को तुरंत बच्चे के साथ जेल गार्ड के द्वारा जिला चिकित्सालय शहडोल भेजा गया। जहां पर उसे उपचार हेतु भर्ती कर लिया गया। बच्चे की हालत सामान्य न होने के कारण बच्चे को शिशु गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती किया गया।

जेल प्रवेश के पश्चात उसे दिनांक 04.03.2017 को मासिक परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय, शहडोल भेजा गया था। जेल अभिलेख अनुसार महिला बंदी द्वारा जेल में दिनांक 08.02.2017 को पीरियड आना बताया था। महिला बंदिनी द्वारा दिनांक 08.03.2017, 09.04.2017, 13.05.2017, 20.06.2017, 20.07.2017, 26.08.2017 एवं 21.09.2017 को पीरियड आने की रिपोर्ट दी एवं नियमित रूप से सेनेटरी पैड लिए गए। इस दौरान महिला बंदी को दिनांक 04.03.2017, 29.05.2017, 12.09.2017 एवं 21.09.2017 को जिला चिकित्सालय, शहडोल गर्भ परीक्षण हेतु भेजा गया। जिला चिकित्सालय, शहडोल से प्राप्त इलाज प्रपत्र में कभी भी महिला बंदी के गर्भवती होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

महिला बंदी के गर्भवती होने के संबंध में जेल के महिला वार्ड में रहने वाली महिला बंदनियों के कथन लिए गंए। सभी महिला बंदियों ने अपने कथन में बताया कि महिला बंदी द्वारा अपने गर्भवती होने की बात उन्हे कभी नहीं बताई। महिला बंदियों द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त महिला बंदी को देखकर उन्हें यह कभी नहीं लगता था कि वह गर्भवती है। जेल के महिला वार्ड के डियूटी करने वाली महिला प्रहरियों के भी कथन दर्ज किए गए। सभी महिला प्रहरियों द्वारा बताया गया कि उन्हें महिला बंदी द्वारा गर्भवती होने की कोई सूचना नहीं दी, महिला बंदी द्वारा नियमित रूप से मासिक धर्म होने की सूचना दी जाती थी एवं सेनेटरी पैड लिए जाते थे।

महिला बंदनी के कथन भी लिए गए। उसके द्वारा यह बताया गया कि उसने अपने गर्भवती होने की बात किसी को नहीं बताई। उसने यह बताया कि वह जेल में नियमित रूप से मासिक आने की रिपोर्ट जेल की महिला प्रहरियों को देती रही एवं सेनेटरी पैड लेती रही।

....2....

महिला बंदिनी द्वारा यह भी बताया गया कि जेल आने के पूर्व उसकी सगाई हो चुकी थी तथा मार्च में उसकी शादी होने वाली थी। सगाई होने के बाद उसका अपने मंगेतर से मिलना जुलना शुरू हो गया था। मंगेतर से मिलने के दौरान उसके साथ तीन चार बार शारीरिक संबंध भी स्थापित हुए थे।

महिला बंदी के जेल प्रवेश दिनांक से लेकर वर्तमान तक जेल पर उप जेल अधीक्षक, के प्रभार में रहे श्री अरविन्द खरे, सहायक जेल अधीक्षक, श्री एच. एस. राठौर, सहायक जेल अधीक्षक एवं श्री दुष्यन्त कुमार पगारे उप जेल अधीक्षक के कथन भी लिए गए। इन सभी के द्वारा भी यह बताया गया है कि वे समय समय पर महिला वार्ड का भ्रमण करते थे। इस दौरान किसी भी महिला बंदी या तत्समय महिला वार्ड में डियूटी पर तैनात महिला प्रहरियों द्वारा महिला बंदी के गर्भवती होने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई। महिला वार्ड के भ्रमण के दौरान तथा साप्ताहिक बंदी परेड लगायी जाने के दौरान भी ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई।

जिला चिकित्सालय में पदस्थ चिकित्सक डॉ. मुकुन्द चतुर्वेदी अंशकालिक रूप से इस जेल पर कार्य देख रहे हैं। जो कि सप्ताह में 01 या 02 बार जेल पर आते हैं। उनको भी महिला बंदी के गर्भवती होने के संबंध में जानकारी नहीं थी।

दिनांक 27.09.2017 को सायंकाल लगभग 04:15 बजे महिला बंदी के नवजात शिशु की मृत्यु जिला चिकित्सालय, शहडोल में हो गई। कार्यालयीन पत्र क्र. 1580 दिनांक 27.09.2017 द्वारा मर्ग कायम करने हेतु पुलिस सहायता केन्द्र, जिला चिकित्सालय शहडोल को लिखा गया। मृत्यु की सूचना थाना प्रभारी, थाना–गरियाबंद, छ.ग. के माध्यम से महिला बंदी के परिजनों को सूचना देने हेतु वितंतु संदेश क्र. 1583 दिनांक 27.09.2017 द्वारा भेजी गई। वितंतु संदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि 24 घंटे के अंदर परिजनों के उपस्थित न होने पर नवजात शिशु का अंतिम संस्कार जेल नियमों के अनुसार कर दिया जावेगा।

दिनांक 28.09.2017 को महिला बंदी के परिजनों के उपस्थित न होने पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सोहागपुर जिला–शहडोल के प्रकरण क्र. 66/अ–34/अनुमति दिनांक 28.09.2017 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के पालन में महिला बंदी के नवजात शिशु को दफनाया गया।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश शहडोल ने आदेश क्र. 103/2–19–10/73 दिनांक 12.10.2017 द्वारा नवजात शिशु की मृत्यु के संबंध में न्यायिक जांच हेतु श्री एस.एस.यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी ,शहडोल को जांच अधिकारी नियुक्त किया है।

जेल उप महानिरीक्षक (स्थापना)
जेल मुख्यालय,भोपाल